भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 760
दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

760. श्री अरुण भारती:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना को देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वित्तपोषण और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या बीबीबीपी योजना की शुरूआत से माध्यमिक शिक्षा में जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) और बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यदि हां, तो इस प्रगति को दर्शाने वाले विशिष्ट आंकड़े क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने बीबीबीपी पहलों में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए कोई प्रचालनात्मक दिशानिर्देश अथवा गतिविधि कैलेंडर जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या बीबीबीपी के लिए वित्तीय आवंटन जिला-विशिष्ट एसआरबी आंकड़ों पर आधारित है और यदि हां, तो एसआरबी के अलग-अलग स्तरों वाले जिलों को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
(ड.) क्या इन प्रयासों से देश में लैंगिक समानता और बालिकाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की आशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पहलों के अपेक्षित परिणाम क्या रहेंगे?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) : दिनांक 22 जनवरी, 2015 को शुरू की गई बीबीबीपी योजना का उद्देश्य लिंग आधारित लिंग चयन को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना एवं बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसका विस्तार कर इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना को लागू नहीं कर रही है।

योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में प्रति वर्ष 2 अंकों का सुधार।
- संस्थागत प्रसव की दर में सुधार कर इसे 95% या उससे अधिक तक पहुंचाया गया।
- प्रथम तिमाही में प्रसव-पूर्व देखभाल (ए.एन.सी.) पंजीकरण में प्रति वर्ष 1% की वृद्धि।
- माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में 1% की वृद्धि तथा प्रति वर्ष बालिकाओं/महिलाओं का कौशल विकास।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर की जांच करना।
- सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में सुधार का रुझान दिख रहा है और वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर यह 918 से बढ़कर 930 हो गया है जिसमें 12 अंकों का शुद्ध सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

इसके अलावा, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (2014-15) में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर (2023-24) में 78 प्रतिशत हो गया है [शिक्षा मंत्रालय के एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के आंकड़ों के अनुसार]।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 2014-15 में **61%** से बढ़कर 2023-24 में **97.3%** हो गया है।

इसी प्रकार, एचएमआईएस आंकड़ों के अनुसार, प्रथम तिमाही में प्रसवपूर्व देखभाल पंजीकरण का प्रतिशत 2014-15 में **61%** से बढ़कर 2023-24 में **80.5%** हो गया है।

ग) मंत्रालय ने एक परिचालन मैनुअल तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बालिकाओं के समग्र विकास के लिए तथा बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की वर्ष भर सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर माहवार विशिष्ट विषयों के साथ सुझाए गए अभिसरण गतिविधियों के लिए विषयगत कैलेंडर भी शामिल है।

घ) मिशन शक्ति दिशानिर्देशों के अंतर्गत जिलों को निधि का आवंटन उनकी विभेदक एसआरबी स्थिति के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2020-21 तक जिलों की विभेदक एसआरबी स्थिति (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एचएमआईएस डेटा के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए, बीबीबीपी घटक के तहत निधि जारी करने के लिए तीन ब्रैकेट निर्धारित किए गए हैं। **918 से कम या उसके बराबर एसआरबी वाले जिलों को प्रति वर्ष 40 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है , 919 से 952 तक एसआरबी वाले जिलों को प्रति वर्ष 30 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है और 952 से अधिक एसआरबी वाले जिलों को प्रति वर्ष 20 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।** इसके अलावा, आने वाले वर्षों में गठित होने वाले किसी भी नए जिले को भी 30 लाख रुपये के ब्रैकेट में रखा जाएगा।

ङ) पिछले वर्षों में, बीबीबीपी ने बालिकाओं के लिए एक सहायक और न्यायसंगत वातावरण को बढ़ावा देने हेतु मिलकर काम करने के उद्देश्य से समुदायों, सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज और मीडिया को संगठित करके राष्ट्रीय चेतना को सफलतापूर्वक कैपचर किया है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर जागरूकता अभियान, बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोलना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत मातृत्व लाभ का प्रावधान जैसे केंद्रित कार्यकलापों के माध्यम से बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में सुधार लाने, बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा बालिकाओं और महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए समेकित प्रयास किए हैं और यह जीवन चक्र निरंतरता के माध्यम से बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए सभी स्तरों पर सभी योजनाओं/कार्यक्रमों और नीतियों के लिए आधारशिला बन गया है।

*****